न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)
(बईजलास : श्री राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2015

दायर दिनांक –19.10.2015
फैसल दिनांक–21.03.2018

श्री लियाकत हुसैन पिता अब्दुल हमीद निवासी डूंगरपुर

प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

श्री सरकार जरिये तहसीलदार डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति– 1. श्री संजीव भटनागर, एडवोकेट – अपीलान्ट
2. पैरोकार सरकार – रेस्पोडेन्ट

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0
(निजि वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन)

– निर्णय –

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से विरूद्व विपक्षी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 में विपक्षी को राज. भू–राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु आंवटन) नियम 1986 के तहत ग्राम घूघरा की आ.नं. 2808/2412/3 रकबा 12.00 बीघा भूमि 25 वर्षीय लीज पर आंवटित भूमि को निर्णय दिनांक 24.06.2015 द्वारा एक पक्षीय प्रार्थी को सुने बिना आंवटन निरस्त किये जाने से आदेश 9 नियम 13 जा. दी. के तहत निरस्त प्रकरण के एक पक्षीय निर्णय दिनांक 24.06.2015 को अपास्त कर पुनः नम्बर पर लिया जाकर विपक्षी आंवटी को सुन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि विपक्षी श्री लियाकत हुसैन पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी डूंगरपुर को भूमि आंवटन सलाहकार समिति ने वर्ष 1988 में ग्राम घुघरा की आ.नं. 2808/2412/3 रकबा 12.00 बीघा अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु आंवटन नियम 1986 के तहत 25 वर्षीय लीज पर निजी वन विकास हेतु आंवटित की गई थी। आंवटी विपक्षी द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं करने से विपक्षी को वर्ष 2005 में आंवटित भूमि बाबत आंवटन बहाल रखते हुए वृक्षारोपण कर वन विकसित करने हेतु मौका प्रदान किय गया था। विपक्षी को उक्त मौका प्रदान करने के उपरान्त भी निजीवन विकास हेतु

भूमि आंवटन के उक्त नियमों के तहत आंवटन शर्तों की पालना नहीं करने पर भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर ने पुनः उक्त निजीवन विकास हेतु विपक्षी को किये गये भूमि आंवटन नियम 18 के तहत निरस्त हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय में दिनांक 23.07.2012 को दर्ज किया गया। विपक्षी को प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 निर्णय दिनांक 24.06.2015 के पूर्व तक अपना पक्ष एवं साक्ष्य रखने हेतु अवसर प्रदान किये गये। विपक्षी उक्त प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 06.05.2015 को वकील मय विपक्षी हाजिर नहीं होने से प्रकरण में उक्त दिनांक को विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने के पश्चात पेरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस समायत की गई व दिनांक 24.06.2016 को निर्णय पारित कर विपक्षी को किये गये निजी वन विकास हेतु 25 वषीर्य लीज पर किये गये भूमि आंवटन का निरस्त किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रकरण में जबाव प्रस्तुत नहीं करने बहस हेतु अनुरोध किया।

प्रकरण में पक्षकारों की बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को पुनराव्यक्त किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रकट किया कि पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 में प्रार्थी आंवटी माह जून 2015 में अपने पुत्र के पास पारिवारिक कार्यों से बैंगलोर गया था एवं उनके वकील श्री सुन्दर लाला भण्डारी का स्वास्थ्य माह मई 2015 से खराब होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सके है। वकील प्रार्थी के बीमार होने से पेशी दिनांक 06.05.2015 को वकील मय प्रार्थी की अनुपस्थिति एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रकरण में दिनांक 24.06.2015 को एक पक्षीय आदेश जारी कर विवेचित भूमि आंवटन निरस्त करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थी आंवटी अपना पक्ष व सबुत पेश नहीं कर सके। प्रार्थी आंवटी को बगैर सुने एक पक्षीय निर्णय परित करने से न्याया से वंचित रहा है जो उसके अधिकारों को हनन है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 को अपास्त कर पुनः नम्बर पर लिया जाकर विधि अनुरूप प्रार्थी आंवटी का पक्ष सुन कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का वकील प्रार्थी ने कथन किया। पेरोकर सरकार ने पूर्व प्रकरण में पारित निर्णय को उचित मानते हुए उक्त निजी वन विकास हेतु 25 वर्षीय लीज पर आंवटित भूमि की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है तथा वर्तमान में राज. भू राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवेचित निजी वन विकास हेतु आंवटित भूमि की लीज अवधि बढाई जाना नियमानुसार सम्भव नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 को यथावत रखा जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रकरण में पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। आंवटी प्रार्थी को ग्राम घुघरा की आ.नं. 2808/2412/3 रकबा 12.00 बीघा भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष की लीज पर 1988 में आंवटित की गई है। आंवटी प्रार्थी को निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन हुए 29 वर्ष पूर्ण हो चुके जबकि उक्त प्रयोजन 25 वर्ष की लीज पर भूमि आंवटन किया गया है। अर्थात प्रार्थी आंवटी को 25 वर्ष की लीज पर आंवटित भूमि की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है। प्रकरण में अन्य गुणावगुण के सम्बन्ध में न जाते हुए पेरोकार सरकार के तथ्य में बताया है कि राज. भू राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 वर्तमान में प्रभावशील नहीं है अर्थात उक्त नियम समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवेचित भूमि की लीज अवधि बढाई जाना सम्भव नहीं है। पेरोकार सरकार के उक्त तथ्य नियमों के परिपेक्ष्य में होने से पूर्ण रूप से सही है, चुंकि राज. भू राजस्व (अकृष्य बंजर भूमि का निजी वन विकास हेतु भूमि आंवटन) नियम 1986 के नियम 19 के अनुसार नियम को समाप्त कर दिया गया है। उक्त स्थिति में अन्य गुणावगुण पर विचार किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी आंवटी का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर आंवटी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। तथा इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 12/2012 निर्णय दिनांक 21.06.2015 करे यथावत रखने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की गई।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर